


अपील/रीवा/2018/02400

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



मो० शहीद अंसारी उम्र 50 वर्ष तनय श्री हाजी अब्दुल अजीज अंसारी निवासी
मोहल्ला कटरा रीवा म०प्र० एवं ग्राम करहिया नं-1 तहसील हुजूर जिला रीवा
म०प्र०

--अपीलार्थी

बिरुद्ध

नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आयुक्त, कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा म०प्र०

----प्रत्यर्थी

अधीनस्थ मुनेन्द्र मिश्रा
नगर पालिका 12-4-18

कलेक्टर नगर पालिका
नगर मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म०प्र० भू राजस्व संहिता
1959ई० बिरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा श्री बी.
एस.कुलेश जो प्रकरण क्रमांक 834/अपील/2017-18
मे पारित।

मान्यवर,

अपील अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.02.18 जिसके द्वारा संक्षिप्ततः दायर बिन्दु पर, प्रथम अपील निरस्त की गई एवं कलेक्टर साहब रीवा का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.03.17 कायम रखा विधि विधान के प्रतिकूल है।
2. पत्रावली तलब किए बिना व अपीलांत को सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना अपीलांत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि नं-1043

(49)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

II / अपील / भू.रा. / रीवा / 2018 / 2400

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री मुनेन्द्र मिश्रा ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>mm</i> / 20/6/18 (आर० के मिश्रा) सदस्य</p>	

mm